

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:-43/2018 (आरसीएमएस नं. 2018/00017)

01. गोपाल उम्र 45 वर्ष,
02. कजोड उम्र 60 वर्ष,
03. सेडू उम्र 55 वर्ष,
04. लड्डू उम्र 42 वर्ष, पुत्रान श्री मुन्ना, जातियान माली, समस्त निवासीयान ग्राम नींदड़, ढाणी नाथ्यावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. सन सिटी प्रोजेक्ट प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय एल.जी.एफ. 10 बसंत स्कवायर मार्ग प्लाट ए, सेक्टर बी, पैकेट-5 कम्युनिटी सेन्टर नई दिल्ली, जयपुर कार्यालय ज्वेल्स ऑफ इण्डिया, स्टॉक एक्सचेंज के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
02. मैससे बट्टी विशाल ऐसेट्स प्रा0लि0 पता एन-49 फर्स्ट फ्लोर कनाट पैलेस, नई दिल्ली स्थानीय पता ज्वेल्स ऑफ इण्डिया स्टॉक एक्सचेंज के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
03. भेंवर उर्फ भूरा पुत्र श्री नृसिंगा, जाति माली, निवासी ग्राम नींदड़, ढाणी नाथ्यावाली तहसील आमेर, जिला जयपुर।
04. गणेश,
05. तोफान,
06. गोपाल पुत्रान स्व. नानूराम, समस्त जातियान माली, समस्त निवासीगण ग्राम नींदड़ ढाणी नाथ्यावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
07. शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री सूवालाल,
08. बनवारी,
09. लक्की, पुत्रान स्व. सूवालाल, नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शान्ति देवी समस्त निवासीगण ग्राम नींदड़, ढाणी नाथ्यावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. गोपाल बिल्डटेक प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पता प्लॉट नम्बर 18 बरडिया कॉलोनी, जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये प्राधिकृत अधिकारी, जोन-12 बी, जयपुर महानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 14.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-12, बी, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 05.02.2016 (प्रकरण संख्या 1/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 90क (9) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम नींदड़ तहसील आमेर जिला जयपुर में कृषि आराजीयात खसरा

P.T.O.
संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

नम्बर 1059 लगायत 1061, खसरा नम्बर 1065 लगायत 1083, खसरा नम्बर 1085 लगायत 1088 कुल किता 26 कुल रकबा 13.80 हैक्टर स्थित है तथा उक्त आराजीयात में प्रत्यर्थी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा व 135/690 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 लगायत 9 का 75/1380 हिस्सा निहित है तथा खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.57 हैक्टर ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें अपीलार्थीगण का 1/4 व 150/628 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 का 50/1380 एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 का 135/690 व 7/628 तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 6 का 75/5520 व प्रत्यर्थी संख्या 7 लगायत 9 का 25/5520 हिस्सा निहित था तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण अपने हिस्से की उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश में अनपढ़ व्यक्ति हैं तथा केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं तथा उनको पूर्व में बंटवारेनामें की जानकारी नहीं थी, अपीलार्थीगण को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 68/2017 बउनवानी गणेश बनाम मैसर्स बट्टी विशाल एस्टेट प्रा०लि० में जारी हुये नोटिस दिनांकित 27.12.2017 प्राप्त हुये जिसमें तारीख पेशी दिनांक 02.01.2018 को अपीलार्थीगण को उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किये गये थे जिसके पश्चात् वादी संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दिनांक को ही समस्त प्रमाणित प्रतिलिपि वादी संख्या 3 को प्राप्त हुई जिसको पढने के पश्चात् समस्त तथ्यों की जानकारी अपीलार्थीगण को हुई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उपरोक्त अपील संख्या 68/2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि जब अपीलार्थीगण को तैयार होकर प्राप्त हुई तो इस तथ्य की जानकारी हुई कि उपरोक्त अपील प्रत्यर्थी संख्या 4, लगायत 7 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलार्थीगण के साथ अन्य प्रत्यर्थीगण जो कि उक्त वाद में पक्षकारान हैं, शामिल थे तथा उक्त अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 11 तहसीलदार तहसील आमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 11 के द्वारा अपने आदेश दिनांकित 03.05.2013 के द्वारा उक्त वाद में पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात के तकासमें का आदेश पारित कर नामान्तरकरण संख्या 1180 को खोले जाने के आदेश पारित किये थे तथा उक्त अपील में यह तथ्य भी वर्णित किये गये थे कि उक्त वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में दिनांक 11.04.2013 को एक बंटवारानामा निष्पादित किया जाना बतलाया जिस बंटवारेनामे के आधार पर दिनांक 03.05.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 11 ने उपरोक्त कृषि आराजीयात के तकासमें के आदेश पारित करते हुये दिनांक 09.05.2013 को नामान्तरकरण संख्या 1181 खोला जाकर अलग-अलग खातों कायम करने के आदेश पारित किये तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा बाला-बाला उपरोक्त प्रस्तावित विभाजन पत्र के आधार पर

P.T.O.

खानापीप आमुप
पञ्च

(3)

अपील के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीया के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर प्रत्यर्थी संख्या 12 से धारा 90-क के तहत उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात का कृषि उद्देश्यों के स्थान पर अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु कार्यवाही करवा ली गई तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर दी गई, उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.16 पारित करने से पूर्व भी अपीलार्थीगण को ना तो इस बात की जानकारी दी गई और ना ही अपीलार्थीगण से इस बारे में सहमति ली गई, उक्त तथ्य की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में दिनांक 22.01.2018 को हुई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को अपील संख्या 68/2017 के साथ-साथ उस तथाकथित बंटवारानामा दिनांक 11.04.2013 की प्रति भी प्राप्त हुई जिसको देखने के पश्चात् अपीलार्थीगण को भारी आश्चर्य हुआ कि उपरोक्त तथाकथित बंटवाराना फर्जी तौर पर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 11 के सहयोग व षड़यंत्रपूर्ण तरीके से तैयार किया गया था जबकि उक्त बंटवारानामा दिनांक 11.04.2013 में चतुर्थ पक्ष के रूप में अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया गया था किन्तु उक्त बंटवाराना पर कही भी अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है और ना ही उक्त बंटवारानामा की कभी कोई जानकारी उपरोक्त अपील के नोटिस आने से पूर्व कभी अपीलार्थीगण को रही तथा सर्वप्रथम उस फर्जी बंटवारेनामे के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 11 के द्वारा विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरकरण खोल दिया गया तथा उसके पश्चात् उन्हे के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 12 ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि उक्त बंटवारानामा दिनांक 11.04.2013 ना तो उप उपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड है, ना ही फर्जी बंटवाराना उचित मूल्यांकित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा उक्त तथाकथित फर्जी बंटवाराना के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा दिनांकित 03.05.13 को कर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य उपरोक्त कृषि आराजीयात के प्रस्तावित विभाजन पत्र तैयार कर जो नामान्तरकरण संख्या 1181 खोला गया उस नामान्तरकरण को खोले जाने से पूर्व इस बात को प्रत्यर्थी संख्या 11 के द्वारा अपीलार्थीगण से तस्दीक नहीं की गई कि उपरोक्त फर्जी बंटवारेनामे पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी क्यों नहीं की गई, ना ही प्रत्यर्थी संख्या 11 के द्वारा इस बात को नोटिस नामान्तरकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थीगण को दिया गया और ना ही प्रस्तावित विभाजन पत्र पर अपीलार्थीगण की कोई सहमति प्रत्यर्थी संख्या 11 के द्वारा ली गई तथा प्रत्यर्थी संख्या 12 के द्वारा भी अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उपरोक्त फर्जी बंटवारेनामे तथा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण

P.T.O.

पुस्तकालय आ३५५५

(4)

की जानकारी हुई तो अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1181 दिनांक 03.05.2013 के विरुद्ध एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जो वर्तमान में लम्बित है, साथी ही एक सिविल वाद बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलार्थीगण के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 35, (आमेर) जयपुर महानगर के समक्ष लम्बित है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को अपील संख्या 68/2017 के जब नोटिस प्राप्त हुये और उसके साथ फर्जी बंटवारानामा दिनांक 11.04.2013 की प्रति प्राप्त हुई उसके पश्चात् सूचना के अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी संख्या 11 द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस प्रत्यर्थी संख्या 12 के द्वारा पत्र दिनांक 22.01.2018 के द्वारा धारा 90-क के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किया गया था उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना के अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण को भेजी जिसका अवलोकन करने के पश्चात् अपीलार्थीगण उपरोक्त अपील भारतीय अवधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित समयावधि में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी संख्या 12 द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 में जो आदेश दिनांक 05.02.2016 उक्त अपील में वर्णित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में 90-क भू राजस्व अधिनियम का जो आदेश पारित किया गया है, उस आदेश को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है क्योंकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि कुल किता 26 कुल रकबा 13.80 हैक्टर हिस्सा 1/4 में से खसरा नम्बरान 1059, 1060, 1061, 1065, 1066, 1067, 1069 लगायत 1083, खसरा नम्बर 1085 लगायत 1087 कुल किता 24 कुल रकबा 11.79 हैक्टर में अपना समस्त हिस्सा 1/4 भाग को व खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.57 हैक्टर के 1/4 का 175/3925 भाग का विक्रय रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 को कर दिया, उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक आमेर के समक्ष दिनांक 23.11.2005 को हुआ तथा विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 490 दिनांक 25.01.2006 स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बहैसियत रिकार्ड खानेदार काश्तकार दर्ज हुआ जिसका विधिक विभाजन तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 03.05.2013 को किया गया, विभाजन में प्राप्त भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 1059 लगायत 1061, 1065 लगायत 1067, 1068/2, 1069 लगायत 1071, 1072/2, 1073 लगायत 1075, 1083/2, 1085

P.T.O.
कानूनीय आयुक्त
जयपुर

(5)

लगायत 1087, 1088/1 कुल किता 20 कुल रकबा 9.48 हैक्टर को गैर कृषि प्रयोजनार्थ जयपुर विकास प्राधिकरण से धारा 90ए भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 05.02.2016 को आदेश प्राप्त कर लिये उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1611 दिनांक 15.01.2018 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किये जाने के पश्चात् उक्त विक्रित खसरा नम्बरान में अपीलार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र की पृष्ठ संख्या 3 में अपीलार्थीगण द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि उनके द्वारा कुल किता 24 रकबा 11.73 हैक्टर के समस्त 1/4 भाग व व खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.57 हैक्टर के 1/4 का 175/3925 भाग को विक्रय करने के पश्चात् अपीलार्थीगण के पास खसरा नम्बर 1068 का शेष भाग व खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.50 हैक्टर के 1/4 भाग जो कि विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया को, अपने पास रखा है। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र में अपीलार्थीगण ने अपना हिस्सा विक्रय के पश्चात् खसरा नम्बर 1068, 1088 में शेष हिस्सा विशिष्ट रूप से कब्जे में होने का अंकन किया है, तहसीलदार आमेर के समक्ष बंटवारानामा प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थीगण को उनका काबिज भू भाग ही दिया गया जो कि स्वयं अपीलार्थीगण के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र से स्पष्ट है, उक्त कथनों से स्पष्ट है कि तहसीलदार आमेर के समक्ष प्रस्तुत बंटवारानामा के विवक्षित सहमति रही है तथा प्राधिकृत अधिकारी जोन 12 बी जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदन करने पर बाद तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की सहमति रिपोर्ट तथा दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 05.02.2016 को प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा धारा 90ए भू राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि गैर कृषि प्रयोजन (आवासीय) उपयोग की अनुज्ञा दी गई है, इस प्रकार अपीलार्थीगण के वर्णित कथन मनगढ़ंत काल्पनिक बैबुनियाद साबित होते हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2005 एवं उक्त विक्रय पत्र में अंकित लाल रंग से दर्शित अपीलार्थीगण के हिस्से की भूमि विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शों में लाल रंग से दिर्शित किया गया है, उक्त दस्तावेजात के आधार पर अपीलार्थीगण की लिखित विक्रय पत्र में दी गई सहमति के आधार पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा तहसीलदार आमेर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र, बंटवारानामा 100/-रूपये स्टाम्प पर जो सभी द्वारा हस्ताक्षरित है, उक्त दस्तावेजात के आधार पर पारित अपीलार्थीगण आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है, उक्त विभाजन अनुसार अपीलार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 1068/1 रकबा 0.38 हैक्टर व खसरा नम्बर 1088/2 रकबा 0.12 हैक्टर पर काबिज काशत है, उक्त काबिज भू भाग पर

P.T.O.

संभाषीय आयुक्त
जयपुर

(6)

रेस्पोजेन्ट ने विगत 4 वर्षों से चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल निर्मित कर उपयोग उपभोग करते आ रह है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा पारित आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही है, अपीलार्थीगण द्वारा भू-माफियों की शह पर महज रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 कम्पनी को हैरान परेशान करने एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 3 लगायत 7 से मिलीभगत कर रूपये ऐठने की गरज से उक्त अपील अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध बिना किसी आधार के मियाद बाहर पेश की गई है, जो इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण भू-माफिया व्यक्तियों के प्रभाव में है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है, उक्त के अलावा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बाद विभाजन प्राप्त कर खातेदारी की भूमि में बाउण्ड्रीवाल अप्रैल 2005 में करवायी गई थी तत्पश्चात् अपनी खातेदारी की भूमियों का जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 12 बी से भू राजस्व अधिनियम की धार 90ए के तहत आवेदन पेश किया उक्त आवेदन के बाबत सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्रों द्वारा जारी की गई, उक्त सार्वजनिक सूचना एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा की गई बाउण्ड्रीवाल से भी अपीलाधीन आदेश की बखूबी जानकारी अपीलार्थीगण को रही है, अपीलार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरुद्ध बिना किसी अधिकार के उक्त अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें विलम्ब से माफी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर होने से निरस्त फरमाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अलवोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतः रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार आमेर के आदेश दिनांक 03.05.13 से वादग्रस्त आराजी का विभाजन हुआ है ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जा चुका है, तो ऐसे में अपीलार्थीगण के वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के कोई हक, हकूक, अधिकार निहित नहीं होते जिससे जाहिर हो जाता है कि वर्तमान में अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, द्वितीय अपीलार्थीगण द्वारा ही वादग्रस्त आराजी का बैचान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को करने के पश्चात् अपीलार्थीगण के पास खसरा नमबर 1068 का शेष भाग व खसरा नमबर 1088 रकबा 0.50 हैक्टर के 1/4 भाग जो विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया है, को अपने पास रखा है तथा उक्त विक्रय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किय गये है, 90ए की कार्यवाही हेतु सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई है इत्यादि तथ्यों से


P.T.O.

संभाषीय आयुक्त
जयपुर


(7)

प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है तथा अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 के समर्थन में ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कन्डोन किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों के मद्दनजर अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का लोकस स्टेण्डाई प्रतीत नहीं होने एवं अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।


(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त
जयपुर।